बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

पत्रांक–भ0मु0अभि0गु0अनु0 / 165 / 2026–................/ 6091 (भ) पटना, दिनांक– 03/7/26 /

प्रेषक,

प्रणव कुमार (भा0प्र0से0)
सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित),
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित)
भवन निर्माण विभाग।

विषयः– **विभागीय उड़नदस्ता दल द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के निरीक्षण में परिलक्षित त्रुटियों के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सभी भवन प्रमंडलों में सरकार की महत्वपूर्ण योजनायें क्रियान्वित की जा रही है। उक्त योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण निर्माण हेतु विभाग स्तर से कुल 10 उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है।

ज्ञात हो कि उक्त उड़नदस्ता दलों द्वारा प्रायः कार्यों का सत्त पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जा रहा है, जिस क्रम में कई प्रकार की सामान्य त्रुटियाँ कार्यस्थल पर परिलक्षित हो रही है, जिसका सार निम्नवत् हैः–

- NGT Norm का पूर्णतः अनुपालन नही हो रहा है।
- सामग्रियों का संधारण Codal Provision के अनुरूप नही हो रहा है।
- स्थल पर प्रयोगशाला क्रियान्वित नही पायी जा रही है।
- सभी तरह के पंजियों का संधारण नही पाया जा रहा है।
- Curing में Gunny bag का प्रयोग नही पाया जा रहा है।
- संरचना में प्रायः Honeycombing पायी जा रही है।
- Column एवं Beam का Alignment सही नही पाया जा रहा है।
- अभियंताओं द्वारा योजनाओं का सतत निरीक्षण नही किया जा रहा है।
- Concrete के Specimen Cube पर DOC (Date of Casting), Member Location, Nail से अंकित किया हुआ नही पाया जा रहा है।
- साईन बोर्ड नही पाया जाना।
- ढलाई के समय Plasticizer का प्रयोग नही पाया जा रहा है।
- Coarse Agrregate over size पाया जा रहा है।

अतः आप सभी को सख्त निर्देश दिया जाता है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में सतत निरीक्षण करते हुये उपर्युक्त सभी बिन्दुओं का पूर्णतः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे, अगर भविष्य में जाँच के क्रम में उपर्युक्त त्रुटि पायी जाती है तो आपके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। साथ ही सभी अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में उपर्युक्त कंडिकाओं का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(प्रणव कुमार)
सचिव 1/7/26
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Office Letter-25 Pg. 958